



143

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

1- ननु तनय नथुवा गड़रिया, 2- दुर्जन तनय नथुवा गड़रिया,
3- मन्दू तनय नथुवा गड़रिया, 4- दमरूआ तनय नथुवा गड़रिया,
निवासी ग्राम कुलगुंवा तह0 वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.....आवेदक

विरुद्ध

म0 प्र0 शासन द्वारा अपर कलेक्टर टीकमगढ़ म0 प्र0

..... प्रतिनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0मू0रा0 संहिता 1959

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है -

यह कि आवेदकगण यह निगरानी अपर कलेक्टर महेश्वर
टीकमगढ़ जिला द्वारा प्र0 क्र0 254/स्व0 निगरानी/02-03 में पारित आदेश
आदेश दिनांक 25/05/2010 से परिवेदित होकर कर रहा है जो समय सी
न होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र मय शपथपत्र के संलग्न

2- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि

तहसीलदार कुड़ीला द्वारा अपने प्र0 क्र0 323/बी121/98-99 के

आवेदकगण के नाम से ग्राम कुलगुंवा स्थित भूमि खसरा नं0 132

है0 का पट्टा प्रारूच ग में म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपरोक्त

दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया

1984 के तहत प्रदान किया गया था। आवेदकगण उपरोक्त

काबिज चले आ रहे हैं, आवेदकगण का उपरोक्त भूमि पर

अक्टूबर 1984 के पूर्व से चला आ रहा है।

यह कि अनुविभागीय अधिकारी वल्देवगढ़

अधिनस्थ न्यायालय को दिया कि आवेदकगण भूमिहीन

3-
.....

195-III-14
A.R.
13 MAR 2014

आवेदक
कलेक्टर, अपर सभाग,
ग्वालियर (म. प्र.)

48/14
22-3-14
26-3-14

2-14-14

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1195-तीन/2014

जिला टीकमगढ़

नन्नु आदि

विरुद्ध

म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 254/स्व.निगरानी/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 25-5-2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आम्र0के0 जैन) 08/3/19 सदस्य</p>